अंचल अधिकारी का कार्यालय, तांतनगर।

आदेश फलक

वाद संख्या :– 5/भू.अ.नि./2022-23

नाम :– प्रधान देवगम
पिता :– सिराम देवगम
मौजा :– खेड़ियासांगर

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
1	2	3
23/3/022	आज दिनांक 23/3/022 को आवेदक प्रधान देवगम, पिता– सिराम देवगम, ग्राम– खेड़ियासांगर के द्वारा मौजा खेड़ियासांगर थाना सं०– 208 . खाता सं०– 1, प्लॉट सं०– 3337, रकवा– 0.33 ए॰, किस्म जमीन टुगरी में विवाद के संबंध में सरकारी भूमि के अतिक्रमण के संबंध में आवेदन किया गया है अतः उक्त के आलोक में ईलाका मानकी/ग्रामीण मुण्डा, अंचल अमीन, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग दिनांक 6/4/22 तक करें। अभिलेख दिनांक– 6/4/22 को उपस्थापित करें। ह॰ 23/3/22 अंचल अधिकारी तांतनगर।	
6/4/22	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक, ग्रामीण मुण्डा, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अतः पुनः जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अभिलेख दिनांक 20/4/22 को उपस्थापित करें। ह॰ 6/4/22	

22

6/4/22 | अभिलेख उपस्थापित!

ग्रामीण मुण्डा, राजस्व उप निरीक्षक, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं दोनों पक्ष भी उपस्थित हुए। ग्रामीण मुण्डा, राजस्व उप निरीक्षक, अंचल अमीन और अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा-खेड़िया-टांगर थाना नं-208 खाता-1 प्लॉट 3337 कुल रकबा-0.35ए किस्म जमीन टुंगरी जो सरकारी भूमि है उक्त जमीन पर पूर्व में 29/6/1986 को पूर्व ग्रामीण मुण्डा के द्वारा बगराई देवगम पिता-स्व० सिरप देवगम को कच्ची बंदोबस्ती की गई है जिसपर वे घर बना कर निवास कर रहे थे वर्तमान में बगराई देवगम की मृत्यु हो चुकी है उनके भाई प्रधान देवगम द्वारा वर्तमान में प्लॉट 3337 पर बने घर पर निवास किया जा रहा है श्री प्रधान देवगम द्वारा आपत्ति किया गया है कि प्लॉट 3337 में में दक्षिणी छोर पर स्थित पत्थर का आशिष देवगम (रामेश्वर देवगम) द्वारा खोदाई की जा रही है इस पर आशिष देवगम के द्वारा भी दिनांक 16/06/013 को इलाका मानकी के द्वारा उक्त प्लॉट पर 0.24ए भूमि का कच्ची बंदोबस्ती वाले कागज आशिष देवगम द्वारा प्रस्तुत की गई।

ग्रामीण मुण्डा/मानकी, राजस्व उप निरीक्षक अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। दोनों पक्ष को दिनांक 5/5/22 को उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया।

6/4/22

5/5/22 | अभिलेख उपस्थापित!

दिनांक 5/5/22 को दोनों पक्ष उपस्थित नहीं हो पाये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष के मद्देनजर पुनः दोनों पक्ष चुनाव समाप्ति के पश्चात दिनांक 15/6/22 को उपस्थित होने के लिए ग्रामीण मुण्डा के माध्यम से सूचित किया गया।

अभिलेख दिनांक 15/6/22 को उपस्थापित करें।

5/5/22

Scanned with CamScanner

15/6/22 अभिलेख उपस्थापित।

दिनांक 15/5/22 को दोनो पक्ष उपस्थित हुए दोनो पक्ष के बाती - बाती के बयान ली गई एवं उनके द्वारा कच्ची बंदोबस्ती के कागजात की मांग की गई दोनो द्वारा प्रस्तुत कागजात का अवलोकन किया गया प्रथम देवगण द्वारा प्रस्तुत कागजात में दिनांक 29/6/1986 को पूर्व पुरुषा द्वारा उक्त प्लॉट के कच्ची बंदोबस्ती की गई जबकि द्वितीय देवगण द्वारा प्रस्तुत कागजात में दिनांक 16/6/2013 को उसी प्लॉट पर पुनः इलाका मानकी द्वारा कच्चा बंदोबस्ती कर दी गई इस संबंध में इलाका मानकी से पूछे जाने पर पर उन्होंने बताया कि मुझे इस बात की जानकारी नही थी उक्त भूमि का बंदोबस्ती 1986 में की गई है क्योंकि प्रथम देवगण द्वारा मुझे बंदोबस्ती वाली कागज नही दिखलाई गई। पुनः राजस्व उप निरीक्षक दोनो पक्ष के हिस्से की जमीन के संबंध में जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

अभिलेख दिनांक 13/7/22 को उपस्थापित करें।

15/06/22

13/7/22 अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उपनिरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। उनसे जाँच प्रतिवेदन पुनः प्राप्त करें।

अभिलेख दिनांक 10/8/22 को उपस्थापित करें।

13/07/22

10/8/22 अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उपनिरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ उन्होंने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि जमीन के सम्बन्ध इलाका मानकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनो के हिस्से में लगभग 2 ए भूमि है। राजस्व उप निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। दोनो पक्ष को दिनांक

Scanned with CamScanner

10/8/22 को उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया।

अभिलेख दिनांक 10/8/22 को उपस्थापित करें।

10/8/22

10/8/22 अभिलेख उपस्थापित!

दिनांक 10/8/22 को दोनों पक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हुए दोनों पक्षों का पक्ष जाना, प्रस्तुत कागजात को पुनः अवलोकन किया गया जिसमें यह पाई गई कि दिनांक 27/6/1986 में बंदोबस्ती की गई कच्ची कागज में मात्र 10 एवं दिनांक 16/6/2013 में बंदोबस्ती की गई कच्ची कागजात में मात्र 25 व्यक्ति का हस्ताक्षर है। दोनों पक्ष के द्वारा सहमति जताई कि हमारे द्वारा उक्त स्थल को खाली कर दिया जायेगा तो हम दोनों के बीच भविष्य में किसी प्रकार का विवाद नहीं होगी। उनके बयानों का अवलोकन के पश्चात उनके कच्ची बंदोबस्ती को रद्द करने का निर्णय ली गई एवं किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा उक्त स्थल का पक्का बंदोबस्ती करने का निर्देश देते हुए आदेश दी गई कि उक्त स्थल में किसी प्रकार का निर्माण कार्य दोनों पक्ष के द्वारा नहीं किया जाये और शांति व्यवस्था बनाये एवं अन्यथा उन पर कानूनी कारवाई की जायेगी। उक्त निर्णय के साथ सुनवाई प्रक्रिया समाप्त की गई।

10/8/22

Digitally signed by ANOJ KUMAR
Date: 2025.06.05 11:16:39 +05:30
Location: 192.168.158.171

Scanned with CamScanner